(67)

विलोपित विलोपित

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

PBR/निगरानी/धार/भू.रा/2017/6062

श्री विनायक बिल्डर्स धार द्वारा
1. मनोज वर्मा पिता कैलाशचंद्र वर्मा
निवासी–धार म0प्र
2. तरूण हिरवानी पिता स्व. अशोक हिरवानी
निवासी धार म0प्र0

.......निगरानीकर्तागण

बनाम

म0प्र0शासन द्वारा पटवारी हाजा

..................विपक्षी

दीक्षित (एड.) 11-12-17 को ... हेतु ... तर्क 17-1-18 नियत। 11-12-17 क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अर्न्तगत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0 मुजब

(कलेक्टर महोदय, धार जिला धार के सूचना पत्र कमांक

1376 / रीडर–1 / 2017 / बी–121 / 17 दिनांकित 09 / 10 / 2017 से

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/धार/भू.रा./2017/6062

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-8-2018	उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा ग्राहयता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । कलेक्टर के अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा शर्तों का उल्लंघन किये जाने के कारण कलेक्टर द्वारा दिनांक 9-10-17 को आवेदकगण को कारण बताओ सूचना जारी किया गया है । चूंकि कलेक्टर द्वारा अभी प्रकरण में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है, केवल आवेदकगण को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है, जहां आवेदकगण को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । वैसे भी उक्त सूचना पत्र आवेदकगण को म.प्र. नगपालिका (कलोजाईजर का रजिस्ट्रकरण निर्वधन तथा शर्त) नियम, 1998 के तहत जारी हुआ है, जिसके अन्तर्गत मंडल को सुनने की अधिकारिता भी नहीं है । उपरोक्त स्थिति में कलेक्टर द्वारा जारी सूचना पत्र में इस स्तर पर हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्टया आधारहीन होने से अग्राहय की जाती है । अध्यक्ष	